

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक:-एफ 184(2) ले.ब./है.पं./अनु. आव./2012-13/ 713 जयपुर, दिनांक:- 12.02.2013

(प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सं. 29/2012-13)

पंचायत समितियों में कार्यरत हैण्डपम्प मिस्त्रियो एवं फिटर्स के माह दिसम्बर, 2012 से मार्च 2013 तक के वेतन भत्तों के भुगतान हेतु संलग्न सारणीनुसार पंचायत समितियों के निजी निक्षेप खातों में राशि रु. 1400.00 लाख (अक्षरे रु. चौदह करोड़ मात्र) के हस्तान्तरण की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है। इस राशि का विकलेय मद निम्न प्रकार है:-

मांग सं. 41

(राशि लाख रु. में)

2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम

197-ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता

(09)-तदर्थ सहायता

[01]-हैण्डपम्प मिस्त्रियों एवं फिटर्स के लिए अनुदान (संस्थापन)

12-सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन)

68.00

92-सहायतार्थ अनुदान (संवेतन)

1332.00

(आयोजना भिन्न)

कुल योग:-

1400.00 लाख

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-5) विभाग की आई.डी.संख्या 331300047 दिनांक 11.01.2013 से प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जा रही है।

(अर्पणा अरोरा)

शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

11. निदेशक, वित्त (आय-व्ययक) विभाग, को प्रेषित कर अनुरोध है कि संलग्न सारणीनुसार राशि रु. 1400.00 लाख संबंधित पंचायत समितियों के पी.डी. खातों में हस्तान्तरण के राज्यादेश शीघ्र जारी कराने का श्रम करावें।
12. महालेखकार, (लेखा एवं हक) राजस्थान जयपुर।
13. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
14. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, संबंधित।
15. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, संबंधित को भेजकर निर्देश है कि आवंटित राशि में हैण्डपम्प मिस्त्रियो एवं फिटर्स के वेतन, यात्रा, एवं चिकित्सा व्यय हेतु राशि सम्मिलित है, आवंटित राशि का व्यय नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित करें।
16. अधिशाही अभियन्ता (प्रोजेक्ट) को सूचनार्थ।
17. प्रोगामर (मुख्यालय) को विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशित करने हेतु।
18. सांख्यिकी/अंकमिलान/संकलन/भुगतान/रक्षित पत्रावली।

(मीहन सिंह)

वित्तीय सलाहकार